संख्या-70/2021/2136जेएल/22-3-2021-200(2)/2019

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधीक्षक,
आदर्श कारागार लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 20 दिसम्बर, 2021

विषय:- नारी बंदी निकेतन, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी हाजरा बेगम पत्नी मो0 शफीक को गृह अवकाश की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-34670/ प्रो0अनु0(2)-224/2020/होमलीव, दिनांक 01-11-2021 एवं पत्र संख्या-37740/प्रो0अनु0(2)-224/2020/होमलीव, दिनांक 06-12-2021 में की गई संस्तुति के दृष्टिगत नारी बंदी निकेतन, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी हाजरा बेगम पत्नी मो0 शफीक, निवासी ग्राम-हाजीपुरा, थाना-कोतवाली, जनपद-फिरोजाबाद, महिला बंदी संख्या-2222 को गृह अवकाश को दिये गये दण्डादेश का निलम्बन का प्रपत्र दो प्रतियों में संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त महिला बंदी को आदेश में उल्लिखित धनराशि का निजी बन्धक (PERSONAL BOND) निर्धारित प्रपत्र पर भराने के पश्चात उन्हें 15 (पन्द्रह) दिनों के लिए घर जाने हेतु गृह अवकाश पर मुक्त किया जाय।

महिला बंदी को गृह अवकाश पर मुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि:-

i. कारागार में आचरण अच्छा रहा हो और उनके द्वारा जेल नियमों का उल्लघंन न किया गया हो।
ii. न्यूनतम 03 वर्ष की अपरिहार सजा उसके द्वारा नारी बंदी निकेतन में भोगी गयी है।
iii. महिला बंदी को उनके माता, पिता, पति, वयस्क पुत्री एवं निकट सम्बन्धियों के संरक्षण में ही कारागार से मुक्त किया जायेगा।
iv. महिला बंदी के निकट सम्बन्धियों की पहचान जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा किये जाने पर उन्हीं के माध्यम से कारागार से मुक्त किया जायेगा।
v. उनकी मजदूरी के खाते में इतनी धनराशि हो, जिससे नारी बंदी निकेतन से अपने गृह स्थान जाने व वापस आने के यात्रा व्यय के लिए पर्याप्त हो तथा न्यूनतम रू0-10/- उनके खाते में शेष रहें।
vi. मजदूरी खाता में वांछित धनराशि न होने की दशा में महिला बंदी को गृह स्थान जाने व वापस आने का वास्तविक यात्रा व्यय हेतु अनुमोदन शासन से प्राप्त होने के उपरान्त उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपरोक्त प्रतिबन्धों के अनुसार प्रश्नगत महिला बंदी गृह अवकाश के लिए अर्ह न हो, उनके गृह अवकाश स्वीकृत के आदेश शासन को तुरन्त वापस कर दिये जाय।

3- उपरोक्त महिला बंदी को शासनादेश की एक प्रति उसके प्रस्तर-2 में अवकाश की तिथियों को भरने के पश्चात दे दें।

4- कृपया इस आदेश की प्राप्ति तुरन्त स्वीकार करें। तथा इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव

संख्या-70/2021/2136जेएल(1)/22-3-2021-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश।

(2) पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-34670/ प्रो0अनु0(2)-224/ 2020/होमलीव, दिनांक 01-11-2021 एवं पत्र संख्या-37740/प्रो0अनु0(2)-224/2020/होमलीव, दिनांक 06-12-2021 के सन्दर्भ में।

(3) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in